"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2005—आषाढ़ 24, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-5/2005/1-8.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भरती नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-एक, अनुसूची-दो और अनुसूची-चार में शब्द "अतिरिक्त सचिव" जहां कहीं वे आए हों, के स्थान पर शब्द "संयुक्त सचिव" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 2-5/2005/1-8.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-7-05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 15th July 2005

NOTIFICATION

No. F-2-5/2005/1-8.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 1976, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In schedule-I, schedule-II and schedule-IV for the words "Additional Secretary" wherever occur shall be substituted by the words "Joint Secretary".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. MINJ, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.